कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः–1772/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 18/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषय– टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– 08बी0/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778, दिनांक 08.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के शर्तो की अनुपालना निम्नलिखित है–

क्र0 सं0	शर्ते	अनुपालना
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 10.283 है0 मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 10.283 है0 मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी के आदेश संख्या–507/XI-128(2018-19) दिनांक फरवरी, 17, 2020, नई टिहरी के द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 03
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षे. जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामन्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 के पत्र संख्या– 831/X-3-22/1(50)2019 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा आरक्षित भूमि घोषित कर दी गयी है। संलगनक– प्रपत्र संख्या 01 एवं 02
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। संलगनक– प्रपत्र संख्या 04
4	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आश्य की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 04 के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 05
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा करवा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 06

6	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 वृक्ष एवं 9 Saplings से अधिक न हो	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में कुल 103 + 49 = 152 वृक्षों का पातन किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 07
7	State Govt. will submit the plantation scheme in degraded forst land in lieu of 5 ha MDF in proposed CA area as per Ministry's guidelines dated 2-11-2017	Propsded CA area MDF में नहीं है, जिसके लिये उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 08
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 09
2	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 6
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 10
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित करा दिया गया है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 11
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचायेंगे। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 12
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 13
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संसाी, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 14

8	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वार अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 15
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 16
10	यदि कोई अन्य सम्बनिधत अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं	उक्त शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बनिधत अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐंजेंसी की जिम्मेवारी होगीं संलग्नक– प्रपत्र संख्या 17
11	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	उक्त शर्त के अनुपालन में ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। संलग्नक– प्रपत्र संख्या 17

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्रांकः– 1772 /पी0–सिं0ख0–2/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2, नई टिहरी।

प्राप्त किया।
22-11-2022

18/11/22

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्र प्राप्ति की तिथि 23/11/2022
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम प्र0स0
कार्यालय का नाम– व व प्र मुनि–की–रेती

वन अनुभाग–3

संख्या– 831 /X-3-22/1(50)/2019

देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से कुण्ड तक मोटर निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 05.1415 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 10.283 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	टिहरी गढ़वाल	कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
					1513	4.666	
					योग:–	10.283	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग–2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of area					
ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	78°15' 19.74" E	30°18' 36.22" N	13	78°15' 19.74" E	30°18' 45.38" N
2	78°15' 16.95" E	30°18' 41.9" N	14	78°15' 18.48" E	30°13' 45.18" N
3	78°15' 16.98" E	30°18' 43.62" N	15	78°15' 21.75" E	30°13' 33.31" N
4	78°15' 19.29" E	30°18' 41.24" N	16	78°15' 24.99" E	30°13' 33.01" N
5	78°15' 19.88" E	30°18' 36.06" N	17	78°15' 28.37" E	30°13' 34.37" N
6	78°15' 21.89" E	30°18' 34.83" N	18	78°15' 28.82" E	30°13' 32.67" N
7	78°15' 24.65" E	30°18' 34.18" N	19	78°15' 26.15" E	30°13' 28.34" N
8	78°15' 26.36" E	30°18' 35.73" N	20	78°15' 26.07" E	30°13' 25.1" N
9	78°15' 24.99" E	30°18' 40.3" N	21	78°15' 23.12" E	30°13' 23.54" N
10	78°15' 22.67" E	30°18' 42.21" N	22	78°15' 20.17" E	30°13' 23.54" N
11	78°15' 20.65" E	30°18' 42.22" N	23	78°15' 18.29" E	30°13' 26.64" N
12	78°15' 20.78" E	30°18' 45" N			

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 23-08-2022 10:54:27

क्रमशः 2

Scanned with CamScanner

संख्या:- 831 /X-3-22/1(50)/2019,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग राड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
9. उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 23-08-2022 13:21:28

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/ 94/2019/एफ0सी0/1778 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना की 10.283 है0 सिविल भूमि(उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के पंत्र संख्या–249/र0का0 (भूमि हस्तान्तरण) -20, दिनांक धनोल्टी ,24 जनवरी 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
			1513 मध्ये	4.666 है0	
				10.283 है0	

प्रस्तावित मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XVIII(II)/ 11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग -2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना के खाता संख्या–14 के खसरा नम्बर 1485 रक्बा 5.617 है0एवं खसरा नम्बर 1513 मध्ये 4.666है0 कुल रक्बा 10.283 है0(दस दशमलव दो आठ तीन है0) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

(डा0वी0षणगुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 507/XI-128(2018–19)दिनांक,नई टिहरी,फरवरी,17,2020

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
6– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0, (लो0नि0वि0)सिंचाई खण्ड–2 नई टिहरी।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

DETAILS OF APPLICANT [illegible]

Account Number	38590 1000 5110	Date	03 01 2020
Cheque Number	000766		
Remitter Name	CHIEF ENGINEER UTTRAN SEC [illegible]		

DETAILS OF BENEFICIARY

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
Account Number	150876121822941
Bank Name	CORPORATION BANK
IFSC Code	CORP0000371
Branch Address	LODHI COMPLEX NEW DELHI
	150897621502941

Remarks [illegible]

PURPOSE CODE [illegible]

CASH	Cash Management Transfer				
CORT	Trade Settlement Payment				
DIVI	Dividend	PENS	Pension	TRAD	Trade Related
GOVT	Government Payment	SALA	Salary Payment	TREA	Treasury Payment
HEDG	Hedging	SECU	Securities	VATX	Value Added Tax Payment
INTC	Intra Company Payment	SSBE	Social Security Benefit	WHLD	With Holding

Construction of ... m-35 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road to Ghena				Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1759713/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3036415/-		Verified by Nodal Officer On : 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 27 Jan 2020 Transaction Date : 28 Jan 2020	Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx...
FP/UK/ROAD/21822/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/21822/2016) Maroda Banali Motor Road Km 3.00 to Kund Motor Road	ROAD218222016941	6121822941	08 Nov 2019	CA: 3152058/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3587210/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6739268/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 04 Dec 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Dec 2019 Transaction Date : 06 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121141226129SP67PDemandletter... banali.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid... 218222016...
FP/UK/ROAD/29059/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/29059/2017) Nagani to Mathiyan Gaon Motor Road	ROAD290592017442	6129059442	15 Nov 2018	CA: 1630190/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1921725/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3551915/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Jan 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Jan 2019 Transaction Date : 25 Jan 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1113122312168M3L... demandletter...) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid... 290592017...

86

जना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड मे मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0)के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

प्रपत्र–21

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग क कि0मी0 3 स कुण्ड (8.125 कि0मी0)क नव निर्माण हेतु **वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

परियोजना क्षेत्र में विघमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का काटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (103+49 मसूरी वन प्रभाग,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0. खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी के विकासखण्ड जौनपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 5.1415 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 10.283 है0 का रायपुर रैंज के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षत्रे 11.215 है0 सिविल सोयम भूमि मौजा कुण्ड का दिनांक 12.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 10.283 है0 में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमे 1000 पौध प्रति है0 वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।

सहायक अभियन्ता –चतुर्थ
पी0एम0जी0एस0वाई, सि0ख0-
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

JE

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम	–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के [illegible] मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	सहायक अभियन्ता पी0एम0ज़ी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

योजना का नाम :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में** मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण **हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को लेबर कैम्प ना लगाये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों के लिये प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

योजना का नाम :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में** मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण **हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

<u>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि सीमांकन सम्बंधी प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सीमांकन किया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्‌टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसौई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0)के नव निर्माण हेतु **वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नही किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

योजना का नाम :— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में** मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण **हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहॉ जंहॉ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानन्तिरत कर दी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई—२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई—२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई—२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड के **मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

<u>परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख–रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नही फेंका जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी**	**सहायक अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी**	**अधिशासी अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी**

योजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एंव वन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तो का अनुपालन करेगा।

Shyam

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी